आदेश की क्रम संख्या और तारिख	न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह वाद सं0–354 / 2022 दिलदार हुसैन वगै0 बनाम हदीश मियां वगै0 (धारा 144 दं0प्र0सं0) आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
12.09.2022	थाना प्रभारी, गाण्डेय थाना से प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 03 / 2022 के अधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धार–144 के अन्तर्गा कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई :– **भूमि विवरणी** :– मौजा–प्रतापपुर, थाना–गाण्डेय जिला–गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 37 प्लॉट नं0 436 रकवा 1.58 एकड़ के मध्ये 50 डी0 तथा चौहदी–उ0–जौजे प्लॉट, द0–पक्की सड़क, पू0–जौजे प्लॉट, प0–हाड़ी मियां। उभय पक्ष द्वारा अपना–अपना कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि विवादित खाता प्लॉट की जमीन सर्वे खतियान के गोनी मियां के नाम से दर्ज हुआ। गोनी मियां, सोमर अली मियां पेसरान नुरा मियां, महाजन प्रहलाद मियां से 3.10 एकड़ जमीन दिनांक 13.03.1920 को हासिल को हासिल किया था। प्रथम पक्ष का कहना है कि वादगत भूमि का चौहदी गलत एवं दोषपूर्ण है। प्रथम पक्ष के पूर्वज नियमित रूप से लगान का भुगतान भूतपूर्व जमींदार एवं सरकार को करते चले आ रहें है। द्वितीय पक्ष जाली कागजात के आधार पर उक्त जमीन को हड़पना चाहते है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि खाता नं0 52 प्लॉट नं0 189 रकवा 2.56 एकड़ के मध्ये 50 डी0 जमीन के संदर्भ में किया गया बदलानामा गलत है। दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि की चौहदी पूर्णतः गलत है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि बान्दी मियां मौजा–प्रतापपुर का खेवटदार थे। खाता नं0 52 प्लॉट नं0 189 सहित अन्य प्लॉट की जमीन विगत सर्वे के दौरान भूतपूर्व जमींदार–बान्दी मियां के नाम से खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज हुआ। खेवटदार 4 / 7–बान्दी मियां ने प्लॉट नं0 189 के अन्तर्गत 2.56 एकड़ जमीन सहित कुल 20.72 एकड़ जमीन बजरिए हुकुमनामा के दिनांक 10 माह पूस सन् 1322 साल फसली को सादिल मियां वगैरह के साथ बन्दोबस्त किया जिसपर ये दखलकार हुए। खाता नं0 37 प्लॉट नं0 436 रकवा 1.58 एकड़ जमीन हनीफ मियां पे0–प्रहलाद मियां की थी। हनीफ मियां एवं सादिल मियां वगैरह के वारीशान के बीच खाता नं0 37 प्लॉट नं0 436 रकवा 50 डी0 एवं खाता नं0 52 प्लॉट नं0 189 रकवा 50 डी0 जमीन का बदलैन हुआ। तदनुसार हनीफ मियां ने प्लॉट नं0 436 के अन्तर्गत 50 डी0 जमीन सादिल मियां वगैरह के वंशज–गनी मियां वगैरह को दिया एवं गनी	

मियां वगैरह ने प्लॉट नं0 189 के अन्तर्गत 50 डी0 जमीन प्रथम पक्ष के पूर्वज को दिया, जिसपर अब प्रथम पक्ष दखलकार है, परन्तु अब प्रथम पक्ष उक्त विवादित भूमि पर दावा कर रहें है। प्रथम पक्ष प्लॉट नं 189 की जमीन को मकरली मियां एवं बबुली मियां द्वारा निष्पादित केवाला के आधार पर दावा करते है, जो जाली एवं बनावटी है। इस प्रकार प्रथम पक्ष का वादगत भूमि पर दावा गलत है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि वादगत भूमि पर 36' x 22' का एक रूम/हाल द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित किया गया है, जिसके एक कोना पर द्वितीय पक्ष का एक छोटा दुकान चल रहा है, जिसकी पुष्टि स्थानीय पुलिस के प्रतिवेदन से भी होती है। फलस्वरूप यह वाद चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विज्ञ अधिवक्ताओं को सूना एवं अभिलेख के साथ संचित उभय पक्ष का कारण–पृच्छा/कागजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष के सदस्य अपने–अपने कारण–पृच्छा के माध्यम से स्वीकार करते है कि विवादग्रस्त भूमि की चौहदी गलत अंकित है। उभय पक्ष विवादित भूमि पर अपना–अपना दावा अपने कागजात के आधार पर करते है एवं एक–दूसरे के कागजात को गलत ठहरा रहें है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह वाद स्वत्व के निर्धारण से संबंधित है, जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्वत्ववाद के निराकरण हेतु पक्षकार चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकतें है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

12/09/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

12/09/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2023.03.15 16:22:44 +05:30
Location: 192.168.29.151